न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 156/2024 (GCMS : 2024/231)

1. **रोहित कुमार** पुत्र श्री नंद लाल जाति अरोड़ा निवासी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
2. **दर्शना रानी** पत्नी श्री नंद लाल जाति अरोड़ा निवासी सादुलशहर जिला श्रीगेंगानगर

बनाम

1. **उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर**
2. **गुरदयाल सिंह** पुत्र श्री मंगतराम उर्फ मंगमूराम जाति जाट निवासी सादुलशहर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

27.11.2024

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। **प्रार्थी के अधिवक्ता** श्री राजकुमार नागपाल एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री तेजा सिंह उपस्थित है। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि अप्रार्थी गुरदयाल सिंह द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर में अन्तर्गत धारा 251 ए आरटी एक्ट प्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 एक राजनैतिक व धनड़या व्यक्ति है, जिनका राजनीति में अच्छा प्रभाव है व राजनीतिज्ञ में पूरा मेल–मिलाप रखे हुए है जो काफी प्रभावशील है और समय समय पर कह रहा है कि तुम चाहे जो मर्जी कर लो फैसला मेरे हक में होगा। इसलिए उन्हें पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद नहीं है।

उनका आगे यह भी कथन है कि गुरदयाल सिंह पुत्र श्री मंगतराम उर्फ मगतूराम, को उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के चैम्बर में उपखण्ड अधिकारी से मिलते हुए देखा है और यह कहता है कि मेरे उपखण्ड अधिकारी से अच्छे संबंध है, मै अपनी मर्जी से फैसला करवाउंगा। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), सादुलशहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.12.06 16:45:43 IST
Reason: Self Attested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

की कार्यवाही से यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थी गुरदयाल सिंह के उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), सादुलशहर से काफी घनिष्ठ संबंध है और अधिकारी अप्रार्थी गुरदयाल सिंह के प्रभाव में है।

उनका आगे यह भी कथन है कि उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), सादुलशहर महोदय खुले न्यायालय में यह कह रहे है कि आप अप्रार्थी से राजीनाम कर लो, वरना मैं कुछ भी आदेश पारित कर सकता हूँ, उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), सादुलशहर के इस कृत्य से प्रतीत होता है कि उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर अप्रार्थी संख्या 2 के प्रभाव में है। इसलिए प्रकरण संख्या 26/2024 अनवानी गुरदयाल सिंह बनाम रोहित कुमार आदि अन्तर्गत धरा 251 ए आरटीए के प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के न्यायालय से अन्य सक्षम न्यायालय में मुंतकिल करने की प्रार्थना की है।

इसके विपरीत अप्रार्थी के अभिभाषक ने कथन किया है कि उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण अनवानी गुरदयाल सिंह बनाम रोहित कुमार प्रकरण संख्या 26/2024 में बहस सुनी जाकर **आदेश के लिए दिनांक 23.10.2024 तारीख पेशी निश्चित की गई थी।** प्रार्थीगण जानबूझ कर प्रकरण में देरी करने की नियत से यह मुंतकिली प्रार्थना पत्र पेश किया हैं

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी द्वारा लगाये गए आरोपों का खण्डन करते हुए कहा कि पीठासीन अधिकारी से उनकी कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है और न ही उनके द्वारा किसी राजनैतिक व्यक्ति से सिफारिश करवाई गई है। प्रार्थी द्वारा लगाए गए आरोप साधारण प्रकृति के है, जो मुकदमा मुंतकिली का कोई ठोस आधार नहीं है केवल मात्र विलम्ब करने के लिए यह प्रार्थना पेश किया है, इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.12.06 16:45:43 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 24.10.2024 से निवेदन किया है कि राजस्व मण्डल के निर्देशानुसार **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए आरटीए से संबंधित प्रकरणों में जल्द सुनवाई कर 90 दिवस में निर्णित किये जाने के आदेश जारी हुए है और उक्त अनवानी प्रकरण न्यायालय हाजा में लगभग 90 दिवस से लंबित है।** प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में उन पर लगाये गये आरोप झूठे, बेबुनियाद और निराधार है। इसके बावजूद उक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैनें, दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत उक्त तर्कों पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के न्यायालय में प्रकरण संख्या 26/2024 अनवान गुरदयाल सिंह बनाम रोहित कुमार अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए लम्बित है, को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुंतकिल करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। **इस मामले में इस न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित मामले के गुणदोष पर विचार नहीं करना है केवल मात्र इस बात पर विचार करना है कि प्रार्थी को उपखण्ड अधिकारी से निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना है अथवा नही?** प्रार्थी ने मुंतकिल प्रार्थना पत्र में पीठासीन अधिकारी पर राजनैतिक प्रभाव होने के आरोप लगाए है, जिसका पीठासीन अधिकारी ने अपनी टिप्पणी दिनांक 24.10.2024 में खण्डन किया है, अगर उक्त प्रकरण को अन्य न्यायालय में मुंतकिल किया जाता है तो पीठासीन अधिकारी को कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है।

चूंकि प्रार्थी द्वारा राजनैतिक प्रभाव सम्बन्धी लगाए गए आरोप साधारण प्रकृति के है और ऐसे आरोप कभी भी, किसी पर भी लगाए जा सकते हैं। मुकद्दमा मुंतकिली के लिए कोई ठोस आधार होना आवश्यक है जिससे प्रथम दृष्टया ज्ञात हो कि अगर प्रकरण को मुंतकिल नहीं किया जाता है तो प्रार्थी को निष्पक्ष रूप से न्याय नहीं मिलेगा। चूंकि मुकद्दमा मुंतकिली का कोई ठोस आधार नहीं है, इसलिए यह मुंतकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.12.06 16:45:43 IST
Reason: SelfAttested

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का मुंतकिल प्रार्थना पत्र खारिज **किया जाता हैं।** उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को निर्देशित किया जाता है कि आप स्वयं विवादित स्थल मौका निरीक्षण करें और **दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करें तथा इस सिद्वान्त को कि 'केवल न्याय होना ही नहीं चाहिए, परन्तु न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए''** को ध्यान में रखते हुए विचाराधीन प्रकरण में विधि सम्मत निर्णय पारित करना सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 27.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2024.12.06 16:45:43 IST
Reason: SelfAttested